भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3402

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

ग्रामीण और अर्ध-शहरी एमएसएमई को सहायता

3402. श्री जिया उर रहमान :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण पहुंच, उच्च ब्याज दरों और विलंबित भुगतान के संबंध में पेश आ रही चुनौतियों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) औपचारिक ऋण उपलब्धता और छोटे उद्यमों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग में वृद्धि करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कारीगरों और सूक्ष्म विनिर्माताओं सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कोई नया हस्तक्षेप किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सरकार ने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी एमएसएमई सहित, देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के इकोसिस्टम को संवर्धित और सुदृढ़ करने के लिए नीति स्तर पर अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है और एमएसई को ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। स्कीम के तहत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए तक है।

ii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट 2026-27 में सूक्ष्म उद्यमों को निरंतर समर्थन देने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाए रखने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष में निवेश समावेशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई है।

iii. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान से प्रभावित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के तौर पर मई 2020 में आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक परिचालन में रही। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ईसीएलजीएस के तहत, शुरुआत से लेकर दिनांक 31.03.2023 तक, एमएसएमई को कुल 1.13 करोड़ गारंटियाँ प्रदान की गई हैं, जिनका मूल्य 2.42 लाख करोड़ रुपए है।

iv. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अध्याय 5 की धारा 15-23 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अधिदेशित करता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एमएसई के विलंबित भुगतानों के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों के विरुद्ध एमएसई द्वारा लंबित भुगतान मामलों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए, सरकार ने दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल पर दर्ज किए गए मामलों को एमएसई विक्रेता और खरीदार के बीच विवाद के समाधान के लिए संबंधित एमएसईएफसी को भेजा जाता है।

v. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के उद्देश्य से खुदरा और थोक व्यापारियों को भी दिनांक 02.07.2021 से एमएसएमई श्रेणी में शामिल किया गया है। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक वित्तीय ढांचे में लाने और उन्हें पीएसएल लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, उद्यम सहायता मंच दिनांक 11.01.2023 को शुरू किया गया था। सरकार ने एमएसएमई वर्गीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन के मामलों में गैर-कर लाभों को तीन वर्ष की अवधि के लिए और विस्तारित किया है।

vi. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) डिजिटल अवसंरचना पर उपयोगिता, शासन और मांग पर सेवाओं के रूप में, नागरिकों और एमएसएमई के डिजिटल सशक्तिकरण पर सेवाएं प्रदान करता है। एमएसएमई विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी करते हैं। देश भर में एमएसएमई के डिजिटलीकरण में सहायता के लिए उपरोक्त प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में सुधार करने और इसे संवर्धित करने के उद्देश्य से, एमएसएमई मंत्रालय हितधारकों के सहयोग से कई पहलें क्रियान्वित करता है, जिनमें उद्यम पोर्टल, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स), एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन स्कीम, एमएसएमई संबंध, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) पोर्टल, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ऑनलाइन, पीएम विश्वकर्मा पोर्टल और ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल शामिल हैं।

vii. पीएमईजीपी विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

viii. पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करना है। इस योजना में 8% तक की ब्याज सब्सिडी के साथ 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान शामिल है।

****